श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिकक्षेत्र, नई दिल्ली 110016

क्रमांक:- F.22(6)LBSNSU/DSW/2026/24 दिनांक:-07.09.2026

अधिसूचना
छात्र परिषद् निर्वाचन/मनोनयन 2026-27

केन्द्रीय संस्कृत विश्विविद्यालय अधिनियम 2020 एवं विश्वविद्यालय नियम परिचायिका 2026-27 के अनुसार छात्र परिषद् गठन की प्रक्रिया अधोलिखित समय सारिणी के अनुसार संपन्न की जाएगी |

1.	छात्र कल्याण पीठ से आवेदन पत्र प्राप्ति	:	09.09.2026 से 11.09.2026- 10:30AM To 04:30 PM
2.	आवेदन पत्र जमा	:	09.09.2026 से 11.09.2026- 10:30AM To 04:30 PM
3.	आवेदन पत्र वापसी	:	14.09.2026 - 10:30AM To 02:30 PM
4.	अर्ह/अनर्ह सूची प्रकाशन	:	14.09.2026 - Evening
5.	अर्ह/अनर्ह आवेदकों की आपत्ति	:	15.09.2026 - Till 04:00 PM
6.	प्रचार समाप्ति	:	16.09.2026 - Till 05:00 PM
7.	मतदान	:	18.09.2026 - 10:00AM To 02:00 PM
8.	चुनाव परिणाम पर आपत्ति	:	21.09.2026 - Till 02:30 PM
9.	अंतिम चुनाव परिणाम प्रकाशन	:	21.09.2026 - Evening

- आवेदन पत्र प्राप्ति एवं जमा स्थल - **छात्रकल्याण पीठ कार्यालय, कक्ष संख्या 110, सारस्वत साधना सदन**

7.9.26

(प्रो. परमानन्द भारद्वाज)
चुनाव समिति

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिकक्षेत्र, नई दिल्ली 110016

क्रमांक:- F.22(6)LBSNSU/DSW/2026/25 दिनांक:- 07.09.2026

छात्र परिषद्
निर्वाचन 2026-27
अधिसूचना

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम एवं शैक्षणिक नियम परिचायिका 2026-27 में प्रदत्त नियमों के अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए छात्र परिषद् के गठन से सम्बन्धित नियम निर्धारण समिति की अनुशंसाओं के अनुसार अधोलिखित विवरणानुसार छात्र परिषद् सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया दिनांक 18.09.2026 को प्रातः 10:00 से 02:00 बजे तक सारस्वत साधना केंद्र स्थित योग-हॉल में सम्पन्न की जाएगी।

क्र०सं०	कक्षा	निर्वाचित हेतु निर्धारित स्थान
1	स्नातक (शास्त्री प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष)	06 (शास्त्री प्रथम वर्ष 02, शास्त्री द्वितीय वर्ष 02, शास्त्री तृतीय वर्ष 02)
2	बी.ए. (प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष)	01 (बी.ए. प्रथम वर्ष , बी.ए. द्वितीय वर्ष , बी.ए. तृतीय वर्ष)
3	स्नातकोत्तर (समस्त आचार्य प्रथम, द्वितीय वर्ष)	02 (आचार्य प्रथम वर्ष 01, आचार्य द्वितीय वर्ष 01)
4	एम.ए.	01 (एम.ए. प्रथम वर्ष, एम.ए. द्वितीय वर्ष)
5	शिक्षाशास्त्री	04 (शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्ष 02, शिक्षाशास्त्री द्वितीय वर्ष 02)
6	शिक्षाचार्य	02 (शिक्षाचार्य प्रथम वर्ष 01, शिक्षाचार्य द्वितीय वर्ष 01)
7	विद्यावारिधि	03 (सत्र 2023-24 01, सत्र 2024-25 01, सत्र 2025-26 01)
कुल संख्या		**19**

चुनाव कार्यक्रम

1. आवेदन पत्र प्राप्त कर जमा करने की तिथि – 09.09.2026 से 11.09.2026 (प्रातः 10:30 से 04:30 बजे)
   (कक्ष सं. 110 छात्रकल्याणपीठ कार्यालय, सारस्वत साधना सदन)
2. नाम वापस लेने की तिथि – 14.09.2026 अपराह्न 02:30 बजे तक
3. निर्वाचन तिथि – 18.09.2026 प्रातः 10:00 बजे से 02:00 तक
   (योग-हॉल, सारस्वत साधना केंद्र)

समिति के निर्णयानुसार निर्धारित नियमावली एवं अधोलिखित नियमों का पालन समस्तअभ्यर्थियों द्वारा किया जाएगा-

1. समस्त चुनाव प्रक्रिया लिंगदोह समिति की अनुशंसाओं के अनुसार सम्पन्न की जाएगी।
2. निर्वाचन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के इच्छुक अर्ह छात्र/छात्राएँ विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र हेतु जारी अपने वैध परिचय पत्र के साथ छात्रकल्याणपीठ कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र के साथ अंतिम परीक्षा की अंक तालिका, वर्तमान सत्र का परिचय पत्र, फीस की रसीद की प्रति योजित कर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं पीठाध्यक्ष से प्रमाणित करवाकर निर्धारित समयावधि में ईमेल

(**dsw@slbsrsv.ac.in**) करने के पश्चात् अपने परिचय पत्र के साथ व्यक्तिगत उपस्थित होकर छात्रकल्याणपीठ कार्यालय में जमा कर सकेंगे।

3. सभी अभ्यर्थी अपनी निर्धारित प्रचार सामग्री मुख्य द्वार के पास स्थित एवं शैक्षणिक भवन के मुख्य द्वार के पास स्थित निर्धारित स्थान पर ही प्रचारित कर सकेंगे। इसके अलावा परिसर में अन्य किसी स्थान पर भी प्रचार सामग्री प्रचारित करने की अनुमति नहीं होगी।
4. निर्वाचन के समय अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी को निर्वाचन केन्द्र पर उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी, जिसके लिए प्रातः 09:15 बजे निर्वाचन स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा।
5. किसी भी अभ्यर्थी की इस सत्रार्ध में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम स्वीकार्य नहीं होगी। साथ ही विश्वविद्यालय की विगत समस्त परीक्षाओं के समस्त प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
6. किसी भी अभ्यर्थी के विरुद्ध यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही किसी भी स्तर पर पाई जाती है तो उसका आवेदन पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जाएगा।

7.9.26

(प्रो. परमानन्द भारद्वाज)
चुनाव अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. समस्त पीठाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष
2. कुलानुशासक
3. समस्त सहायक कुलसचिव
4. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वह सूचना वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. अभियान्त्रिकी विभाग को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित समय पर चुनाव स्थल को व्यवस्थित करवायें।
6. सम्बन्धित पत्रावली
7. कुलपति एवं कुलसचिव के निजी सचिव

7.9.26

(प्रो. परमानन्द भारद्वाज)
चुनाव अधिकारी

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिकक्षेत्र, नई दिल्ली 110016

क्रमांक:- F.22(6)LBSNSU/DSW/2026/26 दिनांक:- 07.09.2026

छात्र परिषद्
मनोनयन 2026-27
अधिसूचना

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम एवं शैक्षणिक नियम परिचायिका 2026-27 में प्रदत्त नियमों के अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए छात्र परिषद् के गठन से सम्बन्धित नियम निर्धारण समिति की अनुशंसाओं के अनुसार अधोलिखित विवरणानुसार छात्र परिषद् सदस्यों की मनोनयन प्रक्रिया 18.09.2026 तक अधोलिखित विवरणानुसार सम्पन्न की जानी है:-

(A) अध्ययन श्रेणी के अन्तर्गत		
क्र०सं०	कक्षा	मनोनयन हेतु निर्धारित स्थान
1.	शास्त्री प्रथम वर्ष	01
2.	शास्त्री द्वितीय वर्ष	01
3.	शास्त्री तृतीय वर्ष	01
4.	आचार्य प्रथम वर्ष	01
5.	आचार्य द्वितीय वर्ष	01
6.	बी.ए.	01
7.	एम.ए.	01
8.	शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्ष	01
9.	शिक्षाशास्त्री द्वितीय वर्ष	01
10.	शिक्षाचार्य प्रथम वर्ष	01
11.	शिक्षाचार्य द्वितीय वर्ष	01
कुल संख्या		**11**

उपर्युक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सम्बन्धित विभाग/अनुभाग द्वारा सम्बन्धित कक्षा के सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले 04 छात्रों की सूची तैयार कर छात्रकल्याणपीठाध्यक्ष कार्यालय को 14.09.2026 को अपराह्न 02:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी।

(B) खेलकूद, पाठ्येतर, गतिविधियों और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में योग्यता के आधार पर मनोनयन हेतु निर्धारित स्थान		
1.	खेलकूद	02 (एक छात्र, एक छात्रा)
2.	सांस्कृतिक गतिविधियाँ	01 (छात्र, छात्रा में से एक)
3.	एन.सी.सी.	02 (एक छात्र, एक छात्रा)
4.	एन.एस.एस.	02 (एक छात्र, एक छात्रा)
5.	सामाजिक	01 (छात्र, छात्रा में से एक)
6.	छात्रावास	01 (छात्र)
कुल संख्या		**09**

उपर्युक्त श्रेणी (B) से सम्बंधित स्थानों पर मनोनयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के इच्छुक अर्ह छात्र/छात्राएँ विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र हेतु जारी अपने वैध परिचय पत्र के साथ छात्रकल्याणपीठ कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विगत सभी सत्रार्धो की परीक्षा की अंक तालिका, वर्तमान सत्र का परिचय पत्र, फीस की रसीद की प्रति, सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्र योजित कर सम्बन्धित कार्यालय/अनुभाग प्रमुख द्वारा अग्रसारित करवाकर निर्धारित समयावधि में अपने परिचय पत्र के साथ उपस्थित होकर छात्रकल्याणपीठ कार्यालय में जमा कर सकेंगे।

छात्रावास से सम्बन्धित सर्वश्रेष्ठ छात्र का मनोनयन छात्रावास अधिष्ठाता द्वारा तथा सामाजिक गतिविधि से सम्बन्धित सर्वश्रेष्ठ छात्र का मनोनयन छात्रकल्याणपीठाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

उक्त श्रेणियों की मेरिट निर्धारण हेतु प्रावधान निम्नानुसार रहेगा:-

स्तर	स्वर्ण पदक प्राप्त	रजत पदक प्राप्त	कांस्य पदक प्राप्त	केवल प्रतिभाग
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	20 अंक	18 अंक	16 अंक	10 अंक
राष्ट्रीय स्तर	15 अंक	13 अंक	11 अंक	05 अंक
राज्य स्तर	10 अंक	08 अंक	06 अंक	03 अंक
विश्वविद्यालय स्तर	08 अंक	06 अंक	04 अंक	02 अंक

7.9.26

(प्रो. परमानन्द भारद्वाज)
चुनाव अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. समस्त पीठाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष
2. कुलानुशासक
3. समस्त सहायक कुलसचिव
4. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वह सूचना वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. अभियांत्रिकी विभाग को इस आशय से प्रेषित निर्धारित समय पर चुनाव स्थल को व्यवस्थित करवायें।
6. सम्बन्धित पत्रावली।
7. कुलपति एवं कुलसचिव के निजी सचिव।

7.9.26

(प्रो. परमानन्द भारद्वाज)
चुनाव अधिकारी

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिकक्षेत्र, नई दिल्ली 110016

क्रमांक:- F.22(6)LBSNSU/DSW/2026/27 दिनांक:- 07.09.2026

छात्रपरिषद् निर्वाचन 2026-27
नियमावली

- शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु छात्र परिषद् निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया लिंगदोह समिति की अनुशंसा के अनुसार एवं प्रत्यक्ष बैलेट पेपर के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।
- निर्धारित समयावधि में प्राप्त पूर्ण आवेदन पत्रों पर ही समिति द्वारा विचार किया जाएगा।
- शिक्षार्थी जिस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है उस पाठ्यक्रम की सम्पन्न हो चुकी सभी सत्रार्ध / वार्षिक परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्ण शिक्षार्थी ही आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे।
- विभाग / विश्वविद्यालय द्वारा जिन शिक्षार्थियों के विरुद्ध यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी हो अथवा जो शिक्षार्थी विश्वविद्यालय विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं उनके आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आवेदनकर्ता शिक्षार्थी की वर्तमान सत्र में 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है।
- निर्वाचन तथा मनोनयन दोनों ही आवेदकों की 09.09.2026 को लिंगदोह समिति की अनुशंसा के अनुसार निर्धारित आयु सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिये (स्नातक स्तर - 22 वर्ष, स्नातकोत्तर स्तर - 25 वर्ष, विद्यावारिधि/Ph.D - 28 वर्ष)।
- निर्वाचन प्रक्रिया में केवल सम्मिलित उम्मीदवार को ही निर्वाचन केन्द्र में उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।
- निर्वाचन प्रक्रिया प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक योग सभागार में सम्पन्न की जायेगी, जिसमें कोई भी मतदाता उक्त अवधि में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए अपने मूल परिचय पत्र के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर मतदान कर सकेगा।
- उम्मीदवारों, मतदाताओं तथा निर्वाचन प्रक्रिया में लगे कार्मिकों एवं सुरक्षाकर्मियों के अतिरिक्त अन्य सभी का प्रवेश निर्वाचन केन्द्र पर निषिद्ध रहेगा।
- निर्वाचन एवं मनोनयन से सम्बन्धित आवेदक अपना वैध विश्वविद्यालय परिचय पत्र दिखाकर छात्र कल्याण पीठ कक्ष से 09.09.2026 से 11.09.2026 तक प्रातः 10:30 बजे से 04:30 बजे तक आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेंगे, जिन्हें सम्बन्धित समस्त प्रमाण सहित सम्बन्धित अधिकारियों से अग्रसारित करवा कर 11.09.2026 को अपराह्न 04:30 बजे तक जमा कर सकेंगे।
- समस्त प्रमाण योजित करने तथा सम्बन्धित अधिकारी से आवेदन पत्र अग्रसारित करवाने के उपरांत आवेदन पत्र की PDF बनाकर उसे छात्र कल्याण पीठ की **ईमेल - dsw@slbsrsv.ac.in** पर 11.09.2026 को अपराह्न 04:30 बजे तक प्रेषित करने के उपरांत मूल प्रति छात्र कल्याण पीठ कार्यालय में निर्धारित समयावधि में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- किसी आवेदक को अर्ह/अनर्ह सूची पर आपत्ति होगी तो वह 15.09.2026 को सायं 04:00 बजे तक अपनी लिखित आपत्ति **ईमेल dsw@slbsrsv.ac.in** पर शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष को अपना समग्र विवरण लिखते हुए प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर नियमानुसार समिति निर्णय करेगी।

- अभ्यर्थी निर्वाचन हेतु शैक्षणिक सदन (लाल बिल्डिंग) के मुख्य द्वार पर स्थित सूचना पट्ट तथा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के पास स्थापित सूचना पट्ट पर ही नियमानुसार मुद्रित सामग्री के द्वारा 16.09.2026 को सायं 05:00 बजे तक प्रचार कार्य कर सकेंगे, तत्पश्चात विश्वविद्यालय में प्रचार संबंधी कोई गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी। प्रचार हेतु किसी प्रकार के लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होते ही तत्काल अभ्यर्थियों के समक्ष ही मतगणना सम्पन्न की जाएगी तथा मतगणना सम्पन्न होते ही चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी।
- चुनाव की किसी भी प्रक्रिया एवं शपथ ग्रहण समारोह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध चुनाव अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।
- निर्वाचन प्रक्रिया संपन्नता पश्चात् शिकायत एवं चुनौतियाँ 21.09.2026 को अपराह्न 02:00 बजे तक **ईमेल - dsw@slbsrsv.ac.in** पर प्रस्तुत की जा सकेंगी | आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत अंतिम चुनाव परिणाम का प्रकाशन 21.09.2026 को किया जाएगा |
- नियमावली तथा निर्वाचन अधिसूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
- यदि निर्वाचित सदस्य पर निर्वाचन के बाद कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है तो वह छात्र परिषद् से दायित्व मुक्त कर दिया जायेगा।
- यह केवल छात्र परिषद् सदस्य निर्वाचन है न कि छात्र संघ पदाधिकारी हेतु निर्वाचन, अतः निर्वाचित सदस्य कोई अध्यक्ष इत्यादि चयन की मांग नहीं करेंगे।
- विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र अपनी पीठ के निर्वाचित / चयनित छात्र परिषद् सदस्यों के माध्यम से अपनी माँगें तथा सुझाव रख सकेंगे।
- निर्वाचित सभी छात्र परिषद् सदस्य छात्र कल्याण पीठाध्यक्ष द्वारा आहूत सभी बैठकों में उपस्थित रहते हुए छात्र कल्याण मण्डल सदस्यों के साथ मिलकर छात्रों के कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण में तथा क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे तथा प्रस्ताव रख सकेंगे।
- छात्र कल्याण पीठाध्यक्ष द्वारा आहूत लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्य को छात्र कल्याण मण्डल की अनुशंसा पर परिषद् सदस्य के दायित्व से मुक्त किया जा सकेगा।
- परिषद् के सभी सदस्यों को बैठक में अपने पीठ से सम्बन्धित अथवा विश्वविद्यालय के सभी छात्रों के हित से सम्बन्धित विषय अनुशासनपूर्वक उठाने का अधिकार होगा।
- छात्र कल्याण परिषद् तथा छात्र कल्याण मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों एवं सुझावों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार छात्र कल्याण पीठाध्यक्ष एवं कुलपति जी को होगा।

7.9.26

(प्रो. परमानन्द भारद्वाज)
चुनाव समिति